

Speed post.

सं० संख्या-5/आर०एल०-40-85/2018 श्र०स०-

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग(श्रम पक्ष)

प्रेषक,

गोपाल मीणा  
श्रमायुक्त बिहार।

सेवा में,

सभी उप श्रमायुक्त  
सभी सहायक श्रमायुक्त  
सभी श्रम अधीक्षक

पटना, दिनांक-

विषय- नवनियुक्त श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों की योगदान तिथि विस्तारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 97 अभ्यर्थियों को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनका पदस्थापन विभिन्न अंचलों में कार्यालय आदेश सं०-6615 दि०-17.09.2018 एवं 7196 दिनांक- 23.10.2018 द्वारा किया गया था एवं उन्हें 15 दिनों के अन्दर पदस्थापित कार्यालय/अंचल में योगदान देने का निदेश दिया गया था। चूँकि बड़ी संख्या में नवनियुक्त अभ्यर्थी अन्य विभागों में कार्यरत हैं, जिससे वहाँ से विरमित होकर आने में विलम्ब होने के कारण अभ्यर्थियों द्वारा योगदान तिथि में विस्तार का अनुरोध प्राप्त हुआ था। प्राप्त आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरान्त योगदान तिथि में विस्तार करते हुए पदस्थापित अंचल में योगदान तिथि दि०-31.10.2018 तक निर्धारित की गई थी।

कतिपय नियुक्त अभ्यर्थियों से प्राप्त अनुरोध के आलोक में समयक विचारोपरान्त योगदान अवधि को विस्तारित करते हुए दिनांक 15.02.2019 तक निर्धारित किया जाता है। अब तक योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विस्तारित तिथि ( दिनांक 15.02.2019) तक निश्चित रूप से अपने पदस्थापित कार्यालय/अंचल में योगदान देना सुनिश्चित करें। अंतिम विस्तारित तिथि तक योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के अनुरोध पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-5/आर०एल०-40-85/2018

289

पटना, दिनांक- 18.1.19

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/1/19

श्रमायुक्त, बिहार